भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3961
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

पंप-एंड-डंप गतिविधियों की शिकायतें

3961. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबी को संदिग्ध पंप-एंड-डंप गतिविधियों से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और परिणामस्वरूप उनमें से कितनी शिकायतों पर नियामक कार्रवाई हुई है या मुआवज़ा दिया गया है;

(ख) पंप-एंड-डंप धोखाधड़ी में निवारण/मुआवज़े का दावा करने हेतु खुदरा निवेशकों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं और क्या प्रभावित निवेशकों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए कोई तंत्र है;

(ग) सेबी, सरकार और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) द्वारा निवेशकों को पंप-एंड-डंप योजनाओं की पहचान करने और उनसे बचने में मदद करने के लिए चलाए गए जागरूकता और निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मौजूदा प्रतिभूति कानूनों या सेबी अधिनियम में पंप-एंड-डंप संचालकों के विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन शक्तियों के लिए, त्वरित संपत्ति ज़ब्त करने और गिरफ्तारी की शक्तियों सहित कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी पंप-एंड-डंप मामलों में, की गई कार्रवाई और लंबित अभियोजनों को सूचीबद्ध करते हुए संसद में वार्षिक श्वेत पत्र या रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रदिबद्ध है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सेबी द्वारा निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 (पीएफयूटीपी विनियम) और सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (पीआईटी विनियम) को प्रशासित करता है। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान सेबी को प्राप्त संदिग्ध पंप-एंड-डंप गतिविधियों से संबंधित निवेशक शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सेबी को प्राप्त निवेशक शिकायतों की संख्या
वित्त वर्ष 2022-23	34
वित्त वर्ष 2023-24	41
वित्त वर्ष 2024-25	25

अप्रैल 2020 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, सेबी ने 1860.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और सेबी (पीएफयूटीपी) विनियम, 2003 के तहत 452.60 करोड़ रुपये के अवैध लाभ की वापसी (डिस्गॉर्जमेंट) के निर्देश दिए हैं।

(ख): सेबी (विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण एवं शिक्षण निधि) विनियम, 2009 के तहत, वापसी योग्य राशि विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण एवं शिक्षण निधि में जमा की जाती है, जहाँ से सेबी उन पहचान योग्य निवेशकों को धनराशि वापस कर सकता है जिन्हें प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के कारण हानि हुई है।

(ग): सेबी तथा विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण एवं शिक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वृहद निवेशक शिक्षण और जागरूकता पहलें संचालित करते हैं।

1. वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच, आईईपीएफए ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देश भर में 71,000 से अधिक निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें बचत, बजट और निवेश जैसी विवेकपूर्ण वित्तीय पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया और साथ ही निवेशकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रति आगाह किया गया।
2. सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) के साथ समन्वय करके, देश भर में नियमित निवेशक शिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ये निःशुल्क कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल निवेश सिद्धांत, निवेशक प्राधिकार और दायित्व, निवेश घोटालों के सामान्य अभिलक्षण जैसे पंप-एंड-डंप योजनाएं, फर्जी ट्रेडिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य चैनलों के माध्यम से अपंजीकृत निवेश सलाह, स्टॉक टिप्स देने वाले सोशल मीडिया विशेषज्ञ, सार्वजनिक व्यक्तियों के डीफेक वीडियो, गारंटीकृत रिटर्न के वादे के साथ भुगतान किए गए ट्रेडिंग कोर्स, सेबी के अधिकारियों और मध्यवर्तीयों का प्रतिरूपण तथा अवास्तविक या गारंटीकृत रिटर्न की अनचाही टिप्स जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं।
3. सेबी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) के सहयोग से, 'प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम' पर एक समर्पित अभियान चलाता है, जिसमें निवेश

घोटालों से बचने, सुरक्षित डिजिटल पद्धतियों आदि के लिए सुझाव साझा किए जाते हैं। इस अभियान का डिजिटल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

4. वित्त वर्ष 2024-25 में, सेबी ने एमआईआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के साथ मिलकर 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 724 जिलों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें लगभग 32 लाख निवेशक शामिल हुए। सेबी ने साऱथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जो शैक्षिक संसाधन और निवेश संबंधी जानकारी आसानी से प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): सेबी ने प्रतिभूति बाजारों के स्थिर प्रचालन और विकास को प्रभावित करने के लिए विनियामक और निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित किए हैं। निगरानी प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार के अलर्ट सृजित करती हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, मूल्य-मात्रा हेरफेर और अन्य अनियमितताओं के संभावित उदाहरणों का संकेत देती हैं। इस तरह के अलर्ट, निवेशकों की शिकायतों के साथ, विस्तृत जांच के लिए इनपुट के रूप में काम करते हैं, जिसके आधार पर सेबी जांच करता है और सेबी अधिनियम, 1992 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई करता है। पंप-एंड-डंप योजनाओं या अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों जैसे उल्लंघनों के लिए, सेबी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संस्थाओं को प्रतिषेध करने, शास्ति लगाने और गलत लाभ की वसूली (डिस्गॉर्जमेंट) सहित उपाय लागू कर सकता है, जैसा कि सेबी अधिनियम, 1992 और संबंधित विनियमों के तहत व्यवस्था की गई है।

***